

राजस्थान सरकार
इंदिरा गांधी नहर विभाग

क्रमांक :- एफ 3(2) इगानवि/भूअ./2019

दिनांक :-

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फव्वारा पद्धति से सिचाई हेतु रामकां माईनर के कुल 2 चकों में 3 डिगियों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। इस परियोजना से संबंधित सामाजिक समाघात अध्ययन का अंतिम प्रतिवेदन जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल ने नियम 16 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया है। परियोजना में क्षेत्रीय बसावट न होने के कारण किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। यह विज्ञप्ति किया जाता है कि नीचे वर्णित क्षेत्र की भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट का अनुमोदन राज्य सरकार के क्रमांक एफ 3(2) इगानवि/विशा/2019 दिनांक-07.08.2019 से हो चुका है। अतः धारा 11 व 12 के अनुसार यह अधिसूचना उन सब हितधारियों के निमित्त जारी की जाती है, जिससे इसका संबंध है।

उक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को जिनका इससे संबंध है को कुछ समय के लिए अपने सेवको एवं श्रमिकों सहित उस क्षेत्र में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने तथा वे सब कार्य करने हेतु अधिकृत करती है जो उक्त धारा में दर्शाये गए हैं।

कोई हितधारी व्यक्ति जिसे निम्नंकित क्षेत्र की भूमि को अवाप्त करने के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उक्त अधिसूचना के प्रकाशन होने के 60 दिन के अंदर-अंदर आपत्ति लिखित में भूमि अवाप्ति अधिकारी इगानप बीकानेर को प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न- सूची

आज्ञा से,



(देशराज मीना),
शासन उप सचिव
इंदिरा गांधी नहर विभाग
जयपुर।

क्रमांक :- एफ 3(2) इगानवि/भू.अ./2019

दिनांक :- 20 < 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है:-

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर।
2. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कर एक मुद्रण की प्रति इस विभाग को शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
3. जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (राज.)
4. अधीक्षण अभियन्ता, साहवा लिफ्ट वृत, इगानप, बीकानेर।
5. अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एवं लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है।
(क) इस अधिसूचना को जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करे।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी, इगानप, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपखण्ड अधिकारी, रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
8. तहसीलदार (भू.अ.), रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
9. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पोहडका (तहसील रावतसर)
10. श्री पवन कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक, इगानप, जयपुर को गजट नोटिफिकेशन को तुरन्त ऑन-लाईन करने हेतु।



(देशराज मीना),

शासन उप सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर।

अवाप्त भूमि का पूर्ण विवरण

धारा-11 के प्रकरण हेतु अवाप्त की जाने वाली चौ० कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली में फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु रामका मार्डनर के चक 1 RMK से 2 RMK तक कुल 2 चकों में 3 छिगियों के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि ग्राम-पोहडका बारानी, तहसील-रावतसर, जिला-हनुमानगढ़, के प्रभावित कृषकों/भूमि धारकों की सूची।

क. सं०	नाम ग्राम	चक नं० छिगि	खातेदार/काश्तकार का नाम	ख० नं०	खसरे का कुल रकबा (हे० में)	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा		किस्म भूमि	विशेष विवरण		
						हेक्टर	बीघा / बीस्वा				
1	पोहडका बारानी	1RMK- Diggi A, 2RMK- Diggi-A & Diggi- B	मनीराम पुत्र रामरख 1.5660हे० जेनाराम सोहनलाल पि० देवसीराम बहिब 0.870हे० सूर्या w/o देवशीराम 1.026हे० साहबराम रामचन्द्र रामेश्वरलाल पि० देवीलाल बहिब 1.895हे० कोम मेघवाल सा० पोहडका आ० का० बाद का।	प.न. 138/54							
				मु.न. 689							
				कि.न. 25	0.127	0.127	10 बीस्वा				
				प.न. 138/62							
				मु.न. 690							
				कि.न. 21	0.202	0.202	16 बीस्वा				
				22	0.253	0.253	1 बीघा				
								बारानी 1			

				प.न. 138/63				बारानी 1	
				मु.न. 697					
				कि.न. 1	0.203	0.203	16 बीस्वा	बारानी 1	
				2	0.253	0.253	1 बीघा	1	
				9	0.253	0.253	1 बीघा		
				10	0.202	0.202	16 बीस्वा		
				11	0.203	0.203	16 बीस्वा	बारानी 1	
				12	0.253	0.253	1 बीघा		
				19	0.253	0.253	1 बीघा		
				20	0.202	0.202	16 बीस्वा		
				21	0.101	0.101	8 बीस्वा	बारानी 1	
				22	0.076	0.076	6 बीस्वा	1	
				प.न. 138/55					
				मु.न. 698					
				कि.न. 5	0.039	0.039	3 बीस्वा	बारानी 1	
				6	0.025	0.025	2 बीस्वा		
				15	0.064	0.064	5 बीस्वा		
				16	0.088	0.088	7 बीस्वा	बारानी 1	

			25	0.164	0.164	13 बीखा	बाराभी	
							1	
	Total	3			2.961	11.14 बीखा		